न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./13/2021/भीलवाड़ा (2021/13)

विभागीय अपील द्वारा श्री संजय कुमार पारासर तत्कालीन पटवारी तिलस्वा हाल पटवारी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा आदेश क्रमांक प.1 ख 18 (1)(5)भू.अ./विजा/2011/ 67999 दिनांक 22–06–2015 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री संजय कुमार पारासर तत्कालीन पटवारी तिलस्वा हाल पटवारी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन क्रमाक 75506 दिनांक 26–12–2011 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–1

Signature Not Verified
Digitally Signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि आप श्री संजय कुमार पारासर पटवारी दिनांक 29–6–2004 से 14–7–2006 तक पटवार मण्डल तिलस्वा पद पर कार्यरत रहते हुए आपने दिनांक 28–7–2005 को ग्राम माहुपुरा की जाबदी के खाता नम्बर 76 में दर्ज आराजी नम्बर 225/123 रकबा 2–15 बीघा श्री रूपा पि. नारायण भील निवासी तिलस्वां के खाते की सत्य प्रतिलिपि जारी की। उक्त सत्यप्रतिलिपि में आपने श्री

रूपा पि. नारायण भील निवासी तिलस्वां के नाम उक्त भूमि गैर खातेदार हक से दर्ज होते हुए एवं जमाबंदी में पटवार प्रति में उक्त खाते के सम्मुख इन्तकाल का कोई इन्द्राज नहीं होते हुए भी सत्य प्रतिलिपि में '' ई.स. 217 से खाता खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। sd'' का इन्द्राज करते हुए सत्य प्रतिलिपि जारी कर दी। जिससे उक्त खाते में दर्ज कृषि भूमि का दिनांक 16–12–2005 को पंजीयन हंसा पत्नी नरेश मीणा निवासी कास्यां के पक्ष में हो गया। इस प्रकार आपने उक्त आराजी के रेकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज होते हुए भी सत्य प्रतिलिपि में हेराफेरी कर खातेदारी हक का इन्द्राज कर दिया जो गंभीर दुराचरण है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या एक में अंकित है।

<u>आरोप संख्या–2</u>

यह है कि आप श्री संजय कुमार पारासर पटवारी दिनांक 29–6–2004 से 14–7–2006 तक पटवार मण्डल तिलस्वां के पद पर कार्यरत रहते हुए आपने ग्राम माहुपुरा की आराजी नम्बर 225/123 रकबा 2–15 बीघा की मौके की रिपोर्ट में भी उक्त आराजी को '' खातेदार श्री रूपा पि. नारायण भील निवासी तिलस्वां के नाम दर्ज रेकार्ड होना बताया'' जबकि उक्त आराजी नम्बर जमाबंदी में गैर खातेदारी हक से दर्ज थी। इस प्रकार आपने अपनी रिपोर्ट में उक्त आराजी को गैर खातेदारी होते हुए भी खातेदार के रूप में उल्लेख कर गंभीर दुराचरण किया है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या दो में अंकित है।

<u>आरोप संख्या–2</u>

यह है कि आप श्री संजय कुमार पारासर पटवारी दिनांक 29–6–2004 से 14–7–2006 तक पटवार मण्डल तिलस्वां के पद पर कार्यरत रहते हुए आपने ग्राम माहुपुरा की आराजी नम्बर 225/123 रकबा 2–15 बीघा की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 28–7–2005 को प्रतिलिपि शुल्क रजिस्टर के क्रमांक 39 पर दर्ज कर जारी की जिसमें आपने ''ई.स. 217 से खाता खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। sd'' का इन्द्राज करते हुए सत्य प्रतिलिपि जारी की । जबकि ग्राम माहुपुरा के नामान्तरकरण जिल्द में इन्तकाल नम्बर 217 खातेदारी हक का नहीं होकर श्रीमति हंसा पत्नी नरेश मीणा नि. कांस्या द्वारा श्री नारायण पि0 भंवरलाल अहीर से ग्राम माहुपुरा की आराजी नम्बर 120 रकबा 10–06 बीघा में से 1/2 हिस्सा क्रय करने से दर्ज किया गया था। इस प्रकार आपने सत्य प्रतिलिपि में गलत इन्द्राज का उल्लेख कर गंभीर दुराचरण किया है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या तीन में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 12–9–2012 को निर्धारित अवधि में तहसीलदार बिजोलिया के पत्र क्रमाक 1143 दिनांक 13–9–2012 से लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको दिनांक 10–06–2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक ने वे ही तथ्य दोहराये जो उसने अपने जवाब में अंकित किये थे। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया उपखण्ड अधिकारी के पूर्व जांच प्रतिवेदन दिनांक 21–6–2013 एवं 23–4–2014 में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश दिनांक 22–6–2015 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी पटवारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22–6–2015 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के उक्त लिखित जवाब पर कोई विचार किये बिना ही उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कराने हेतु आदेश क्रमांक प.ख18(1)(5)भू.अ./विजां/2011/72739–46 दिनांक 16–11–2012 द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को जांच अधिकारी तथा तहसीलदार बिजौलिया को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया। उपखण्ड अधिकारी ने विस्तृत जांच पूर्ण कर जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित की जिसमें अपीलार्थी के पर लगाये गये तीनों आरोपों में से आरोप संख्या 1 व 2 अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माने परन्तु आरोप संख्या 3 को अपीलार्थी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित माना है। आरोप संख्या त में वर्णित तथ्य आरोप संख्या 1 व 2 भी समान रूप से ही है। चूंकि जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 1 व 2 को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं माना है इसलिए आरोप संख्या 3 को भी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध हंसा मीणा नाम की एक युवती ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा को शिकायत की थी। उक्त शिकायत पर

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को जांच करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही इसी शिकायत पत्र पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिये। इस सन्दर्भ में निवेदन है कि किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रारम्भिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–कार्मिक(क–3)79 दिनांक 26–3–1980 के अनुसरण में आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच कराये जाने की व्यवस्था की है। प्रस्तुत प्रकरण में नियम–16 के तहत कार्यवाही करने से पूर्व कोई प्राथमिक जांच नहीं कराई गई।

उन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कृष्ण लाल गोदारा बनाम राजस्थान सरकार (सन् 1969 RLW पृष्ठ 666) में यह निर्णय पारित किया है कि प्राथमिक जांच कराये बिना नियम 16 के तहत चार्जशीट दिया जाना नियम विरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को एक सप्ताह में जांच करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु उपखण्ड अधिकारी ने तथाकथित शिकायत की कोई प्राथमिक जांच नहीं की। बल्कि तहसीलदार बिजौलिया से तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं आरोप पत्र तथा आरोप विवरण पत्र प्राप्त कर मूल ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित कर दिये। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी प्राथमिक जांच ही नहीं की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध एक ही आरोप पत्र की दो–दो बार–जांच की गई है। प्रथम जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, माण्डल गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 872 दिनांक 21–6–2013 के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित की थी उसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध केवल आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना था। अपीलार्थी ने आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कथन किया कि आरोप संख्या 1 जो मूल है और आरोप संख्या 2 व 3 उसकी पुनरावृति ही है। इसलिए जब आरेप संख्या 1 व 2 प्रमाणित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति मों आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जबकि स्वयं जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 2 को अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माना है। ऐसी स्थिति में आरोप संख्या 2 के तथ्यों को दर्शाते हुए आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित मानना विधिविरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों पर विचार किये बिना ही उक्त आरोपों के संबंध में पुनः जांच कराने का निर्णय लिया और जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को जो पत्र लिखा वह भी अस्पष्ट है एक तरफ तो जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उक्त तीनों आरोपों की पुनः विस्तृत जांच कराने का निर्णय

लिया दूसरी ओर उन्होंने उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया कि **"प्रासंगिक जांच प्रतिवेदन में आप द्वारा आरोप संख्या 3 को आंशिक प्रमाति होना बताया जबकि आरोप के विवेचन से आरोप संख्या 2 आंशिक प्रमाणित होना प्रतीत होता है। अतः जांच प्रतिवेदन पुनः भिजवाकर लेख है कि आरोप पत्र की बिन्दुवार जांच कर सीसीए नियम–16 (7) के अनुरूप बिन्दुवार निष्कर्ष टिप्पणी अंकित करते हुए जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र भिजवावे"** जांच अधिकारी ने उक्त पत्र की पालना में तीनों आरोपों की पुनः नये सिरे से जांच की तथा गवाहों के बयान लिये। तत्पश्चात जिला कलक्टर भीलवाड़ा को पुनः विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप संख्या 1 प्रमाणित नहीं माना लेकिन आरोप संख्या 2 व 3 को प्रमाणित माना है। इस बारे में कथन है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का जो निष्कर्ष था वह उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 30–12–2013 में अंकित कर दिया जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि आरोप संख्या 2 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है जब जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने विस्तृत जांच करने से पूर्व ही आरोप संख्या 2 के बारे में अपना निष्कर्ष दे दिया था तो ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निष्कर्ष से विपरीत निष्कर्ष देने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार दूसरी बार जो जांच हुई है वह केवल औपचारिकता पूरी कर पुनः जांच की गई है। अतः पुनः जांच के आधार पर पारित दण्डादेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पुनः जांच कराई है । उन्हीं आरोपों की पुनः जांच कराने कराने का कोई कानून नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समान आरोपों की पुनः जांच कराने की कार्यवाही को विधिविरूद्ध माना है। इस बारे में कृपया ए.आई.आर–1958 व राजस्थान पृश्ठ 38, 1962 (सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 1334 में पारित निम्न निर्णय का अवलोकन फरमावे जिसमें उल्लेखित है कि

> " Fresh enquirty on same cgarges is not maintainable on the principle of equity and fair play. The principle of estoppels applies and no second enquiry is allowed. Not to be held when there is no specific rule. The hatchet once buried should not be unearthed again and again. Hence, no enquirty again on the same allegation can be held to punish again. to take up a past event for a fresh enquirty and to remove the employee on that account is a malafide act."
>
> " At the same time it is reasonable for the sake of equity and justice not to hold a fresh enquirty on the same charges when the officer has been fully exonerated in the previous proceedings, unless the previous enquiry was vitiated by any lucuna or defect."

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के अनुसार एवं सीसीए नियम–16 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः जांच कराया जाना विधिविरूद्ध था। इसलिए जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश भी शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने दण्डादेश में आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। जांच अधिकारी ने नये सिरे से जो जांच की है उसमें आरोप संख्या 2 व 3 आंशिक रूप से प्रमाणित माने है। ये दोनों आरोप किस हद तक तथा किस बिन्दु पर आंशिक रूप से प्रमाणित हुए है इसका उल्लेख जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने भी अपने निर्णय में जांच अधिकारी द्वारा नये सिरे से की गई जांच रिपोर्ट को मानते हुए दण्डादेश पारित किया है। उन्होंने अपने निर्णय में केवल यह अंकित किया है कि मैं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से पूर्ण सहमत हूं।'' के तथ्यों के आधार पर दण्ड दिया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। माननीय पंजाब उच्च न्यायालय मालवेन्द्र जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1970 (2) आई.एल.आर पृष्ठ 580 फुल बेंच में यह सिद्धान्त पारित किया है कि माईनर पेनल्टी का आदेश ''स्पीकिंग आदेश'' होना चाहिए अन्यथा सम्पूर्ण कार्यवाही अविधिक व शून्य मानी जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित ही नहीं किया है इसलिए जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश शून्य होने से निरसत किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम माहपुरा की आराजी नम्बर 225/123 रकबा 2–15 बीघा की मौका रिपोर्ट में भी उक्त आराजी को खातेदार श्री रूपा पिता नारायण भील निवासी तिलस्वा के नाम दर्ज रेकार्ड होना बताया है जबकि उक्त आराजी जमाबंदी में गैर खातेदारी हक में दर्ज थी। यह आरोप स्पष्ट रूप से आरोप संख्या 1 पर ही आधारित है। आरोप संख्या 1 में यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि उक्त आराजी ग्राम माहपुरा की आराजी नम्बर 225/123 रकबा 2–15 बीघा जमाबंदी सम्वत् 2065 के कॉलम नम्बर 4 में रूपा पिता नारायण भील साकिन तिलस्वा गैर खातेदार दर्ज है। यही जमाबंदी की नकल अपीलार्थी द्वारा जारी की गई है। आरोप संख्या 1 की जांच में स्वयं विभाग द्वारा जो गवाह पेश किये गये उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि [illegible] के कॉलम 13, 14, 15, 16 में जो नोट ''ई संख्या 217 से [illegible] की स्वीकृति हुई है।'' यह इन्द्राज अपीलार्थी के द्वारा किया [illegible] नहीं पाया गया है। अपीलार्थी ने जो जमाबंदी की नकल जारी की उसमें रूपा पिता नारायण भील को गैर खातेदार ही बताया गया है। आरोप संख्या 2 भी इसी बिन्दु पर आधारित है। अपीलार्थी ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की थी वह 6 माह पूर्व जारी की हुई थी। रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने यह अंकित किया कि ''रूपा पिता नारायण भील साकिन तिलस्वा के नाम पर दर्ज रिकार्ड में यह आराजी सड़क से 30 मीटर की दूरी व आबादी व खनन क्षैत्र से 100 मीटर की दूरी से स्थित है।'' इसमें अपीलार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि रूपा वल्द नारायण भील जमाबंदी में रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में केवल रूपा पिता नारायण भील का नाम रिकार्ड में दर्ज होने का ही उल्लेख किया है। अपीलार्थी ने इस रिपोर्ट में गैर खातेदारी या खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है नहीं लिखा है। इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी रिपोर्ट में रूपा पिता नारायण की हैसियत ना तो गैर खातेदार लिखी एव ंना ही खातेदारी लिखी। इस रिपोर्ट का प्रभाव किसी भी स्थिति में विक्रय पत्र के पंजीयन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। विक्रय पत्र पंजीयन के लिए पटवारी से केवल यह रिपोर्ट ली जाती है कि क्रेता के खाते में राज्य सरकार का कोई लगान आदि कोई राशि बकाया तो नहीं है। क्रेता के द्वारा जो जमाबंदी की नकल पेश की गई है उसमें क्रेता के द्वारा कुछ हेरा फेरी की गई थी। अपीलार्थी द्वारा जो जमाबंदी की नकल जारी की गई थी उसमें रूपा पुत्र नारायण भील की हैसियत जमाबंदी के कॉलम–4 में बहैसियत गैर खातेदार ही दर्ज की गई है। सब रजिस्ट्रार को स्वामित्व की जांच करनी चाहिए थी। उनके सामने जो जमाबंदी प्रस्तुत की गई थी उसमें कॉलम नम्बर 14, 15, 16 के इन्द्राज संदिग्ध थे तथा भिन्न हैण्डराईटिंग में थे। सब रजिस्ट्रार का यह दायित्व था कि वह मूल जमाबंदी को देकर इसकी पुष्टि करानी चाहिए लेकिन उन्होंने आनन–फानन में विक्रय पत्र निष्पादित किया है जिसकी जिम्मेदारी अपीलार्थी की नहीं है। आरोप संख्या 1 में सरकारी गवाहों ने यह मान लिया कि अपीलार्थी ने जो जमाबंदी की नकल जारी की थी उसमें केवल जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 के इन्द्राज ही सही है जिसमें रूपा पुत्र नारायण भील को गैर खतेदार दर्ज किया गया था। इस प्रकार आरोप संख्या 2 पूर्ण रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है। यह स्थिति पूर्व में जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित की थी। इसे नहीं मानना पूर्ण रूप से गलत था बाद वाली जांच में आरोप संख्या 2 को आंशिक रूप से प्रमाणित मानने का कोई नया तथ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गा तो फिर आरोप संख्या 2 को किस आधार पर आंशिक रूप से सिद्ध माना है। आरोप संख्या 1 में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से दो बार जांच हुई है और दोनों बार जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि जमाबंदी में जो इन्द्राज है वह अपीलार्थी के स्तर से नहीं किये गये है। यह इन्द्राज भिन्न स्याही से व भिन्न हैण्डराईटिंग से अंकित है। दोनों ही विस्तृत जाचों में खुद सरकारी [illegible] इस बात की पुष्टि की है कि जमाबंदी में ये जो इन्द्राज है वो भिन्न स्याही व भिन्न हैण्डराईटिंग से है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित दूसरी रिपोर्ट में जब आरोप संख्या 1 अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित हुआ ही नहीं है तो आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित मानना विधि विरूद्ध एवं रेकार्ड के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–06–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर लगाये गये आरोप के संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा पत्र क्रमांक 64087 दिनांक 08–1–2021 से टिप्पणी प्रेषित कर कथन किया कि अपीलार्थी की अपील के बिन्दु संख्या 1 से 10 के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ की जांच रिपोर्ट में अपचारी कर्मचारी पर आयत आरोप संख्या 2 व 3 को आंशिक प्रमाणित माना है। उक्त आंशिक प्रमाणित आरोपें के संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन के दौरान ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रमाणित आरोप का पूर्ण रूप से खण्डन हो सके। आरोपी पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि खातेदार गैर खातेदार है या खातेदार है, पटवारी द्वारा संदेहास्पद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे दस्तावेज पंजीयन हुआ जो पटवारी की लापरवाही का द्योतक है। उक्त लापरवाही के फलस्वरूप याची श्री संजय कुमार पारासर तत्कालीन पटवारी तिलस्वां तहसील बिजौलिया की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकी गई है जो सर्वथा उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे ताकि अपीलार्थी भविष्य में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में सजग रह सके।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को नियमों के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही करने से पूर्व प्राथमिक जांच करायी जानी आवश्यक थी। अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 16 के तहत कार्यवाही से पूर्व कोई प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई केवल उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया को पैरोकार नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी उपखण्ड अध्कािारी माण्डलगढ़ ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible] दिनांक 21–6–2013 में अपीलार्थी के विरूद्ध केवल आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों पर विचार किये बिना ही उक्त आरोपों के संबंध में पुनः जांच कराने का निर्णय लिया और जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को जो पत्र लिखा वह भी अस्पष्ट है जिसमें जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी पर आयत तीनों आरोपों की पुनः विस्तृत जांच करायी साथ ही उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को पत्र द्वारा निर्देशित किया कि ''प्रासंगिक जांच प्रतिवेदन में आप द्वारा आरोप संख्या 3 को आंशिक प्रमाणित होना बताया जबकि आरोप के विवेचन से आरोप संख्या 2 आंशिक प्रमाणित होना प्रतीत होता है। अतः जांच प्रतिवेदन पुनः भिजवाकर लेख है कि आरोप पत्र की बिन्दुवार जांच कर सीसीए नियम–16 (7) के अनुरूप बिन्दुवार निष्कर्ष टिप्पणी अंकित करते हुए जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र भिजवावे'' जांच अधिकारी ने उक्त पत्र की पालना में तीनों आरोपों की पुनः नये सिरे से जांच की तथा गवाहों के बयान लिये। तत्पश्चात जिला कलक्टर भीलवाड़ा को पुनः विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप संख्या 1 प्रमाणित नहीं माना लेकिन आरोप संख्या 2 व 3 को प्रमाणित माना है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने जांच अधिकारी द्वारा नये सिरे से पुनः की गई जांच रिपोर्ट को मानते हुए दण्डादेश पारित किया है। उन्होंने अपने दण्डादेश में आरोप संख्या 2 व 3 के किस भाग को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है इसका विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया केवल यह अंकित किया है कि ''मैं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से पूर्ण सहमत हूं'' के तथ्यों के आधार पर दण्ड दिया जाना किसी भी स्थिति में विधिसम्मत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सीसीए नियम–16 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत प्रकरण में आरोपों की पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समान आरोपों की पुनः जांच कराने की कार्यवाही को विधिविरूद्ध माना है।

यह भी उल्लेखनीय है कि साथ ही सरकारी कार्य के निष्पादन के दौरान भी पटवारियों का उत्पीड़न होता रहता है। राजस्व मण्डल में इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि पटवारी अपने स्तर से नियमानुसार सभी तथ्यों की पूर्ण जांच करते हुए नामान्तरकरण/इन्द्राज संबंधी कार्य करता है तो आगे की अनियमितता के लिए उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है एवं ना ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परिपत्र में यह भी अंकित किया गया है कि पटवारी राज्य सेवक की हैसियत से कर्तव्यों का निर्वहन करता हैं । राजकार्य में व्यक्तिशः उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही उचित नहीं है। निजी मामलों के अतिरिक्त प्रकरण राज्य कार्य के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित है तो पटवारियों को नियमों के अनुसार सुरक्षा दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.08.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

अपचारी पटवारी को नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुए वृहत दण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि नियम 16 के तहत कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी, गम्भीर दुराचरण तथा रिश्वत के मामले में ही किया जाता है। अपीलार्थी

के विरूद्ध जारी आरोप संख्या 1 की जांच में स्वयं विभाग द्वारा जो गवाह पेश किये गये उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि जमाबंदी के कॉलम 13, 14, 15, 16 में जो नोट ''ई संख्या 217 से खाता खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है।'' यह इन्द्राज अपीलार्थी के द्वारा किया जाना नहीं पाया गया है। जबकि अपीलार्थी ने जो जमाबंदी की नकल जारी की उसमें रूपा पिता नारायण भील को गैर खातेदार ही बताया गया है। अपीलार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि रूपा वल्द नारायण भील जमाबंदी में रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में केवल रूपा पिता नारायण भील का नाम रिकार्ड में दर्ज होने का ही उल्लेख किया है। अपीलार्थी ने इस रिपोर्ट में गैर खातेदारी या खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है नहीं लिखा है। इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी रिपोर्ट में रूपा पिता नारायण की हैसियत ना तो गैर खातेदार लिखी एवं ना ही खातेदारी लिखी। विक्रय पत्र पंजीयन के लिए पटवारी से केवल यह रिपोर्ट ली जाती है कि क्रेता के खाते में राज्य सरकार का कोई लगान आदि कोई राशि बकाया तो नहीं है।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दण्डादेश पारित किया गया है एवं अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है तथा अपचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित न्यायिक दृष्टांत तथ्यात्मक समानता होने से प्रकरण में यथावत चस्पा के कारण जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–06–2015 विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री संजय कुमार पारासर तत्कालीन पटवारी तिलस्वा हाल पटवारी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश प.1 ख 18 (1)(5)भू.अ./विजा/2011/ 67999 दिनांक 22–06–2015 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान),
सभागीय आयुक्त,
अजमेर